**Satyanarayan Sheohare**

***District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui***

***SC/ST Case no. 28 of 2020***

***(Barhat P.S. Case No.- 40/2017)***

***Date of Judgement :22-04-2026***

***State of Bihar through informant Mukesh Kumar Tanti Vs. Sankar Pandey & others***

**न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, जमुई**

**एस0सी0 / एस0टी0 काण्ड संख्या : 28 / 2020**

**बरहट थाना कांड सं0–40 / 2017**

उपस्थित : **सत्यनारायण शिवहरे**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।

**बिहार राज्य द्वारा सूचक मुकेश कुमार तांती**

बनाम

1. **शंकर पाण्डेय,** उम्र 55 वर्ष, पिता– स्व0 सुंदर पाण्डेय,
2. **प्रदीप पाण्डेय,** उम्र 51 वर्ष, पिता– स्व0 सुंदर पाण्डेय,
3. **नवलेश पाण्डेय,** उम्र 45 वर्ष, पिता– शांति शरण पाण्डेय,
4. **मुकेश पाण्डेय,** उम्र 40 वर्ष, पिता– शांति शरण पाण्डेय,
5. **योगेश पाण्डेय,** उम्र 35 वर्ष, पिता– शांति शरण पाण्डेय,
6. **मिथलेश पाण्डेय,** उम्र 49 वर्ष पिता– शांति शरण पाण्डेय,

सभी साकिन–गुगलडीह, थाना–बरहट, जिला–जमुई।

**आरोप भा0द0वि0 की धारा 147, 323, 324, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s) के अंतर्गत**

अभियोजन पक्ष की ओर से– **श्री मनोज कुमार दास, विद्वान विशेष लोक अभियोजक**

बचाव पक्ष की ओर से– **श्री मैनेजर पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता**

**दिनांक :–22.04.2026**

**निर्णय**

**1.** कांड के सूचक मुकेश कुमार तांती पे0 सुभाष तांती के द्वारा थानाध्यक्ष, बरहट थाना को दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर थाने में प्राथमिकी संख्या–40 / 2017 के रूप में भा0द0वि0 की धारा 147, 323, 324, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(x) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए यह कांड दर्ज हुआ तथा अन्वेषण उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–114 / 2019 भा0द0वि0 की धारा 147, 323, 324, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(x) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए समर्पित किया गया जिसके उपरांत सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध विचारण प्रारम्भ हुआ।

**Satyanarayan Sheohare**

***District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui***

***SC/ST Case no. 28 of 2020***

***(Barhat P.S. Case No.- 40/2017)***

***Date of Judgement :22-04-2026***

***State of Bihar through informant Mukesh Kumar Tanti Vs. Sankar Pandey & others***

**2.** कांड के सूचक मुकेश कुमार तांती द्वारा थानाध्यक्ष, बरहट थाना को दिये गये लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक–12.07.2017 को सुबह 11 बजे करीब वह गुगुलडीह बाजार से सब्जी खरीदकर अपने घर जा रहा था तो देखा कि मिथलेश पाण्डेय, योगेश पाण्डेय, नवलेश पाण्डेय, मुकेश पाण्डेय, शंकर पाण्डेय, प्रदीप पाण्डेय सभी साकिन गुगुलडीह के बीच ईंट पत्थर चल रहा है, जिससे आने जोने का रास्ता अवरूद्ध हो गया। जब ईंट पत्थर चलाना बंद हुआ तो उसने मिथलेश पाण्डेय को कहा कि क्यों रोड पर ढेला पत्थर चलाते हो, आने जाने में दिक्कत होती है। उसी बात पर सभी मिलकर गाली गलौज देने लगे तथा बोले कि साला हरिजन तुम बोस हो गया है तथा लाठी से मारने लगे जिससे उसका सर फूट गया तथा वह बेहाश होकर गिर गया। फिर उसके परिवार के लोग आये तथा उसे उठाकर थाना लाये।

**3.** उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2021 को भा0द0वि0 की धारा 323, 324, 147, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये आरोप का गठन कर आरोप को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे इन्होंने इंकार किया एवं विचारण की माँग किया।

**4.** इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए सुचक सहित कुल दो साक्षी का साक्ष्य करवाया गया है। 1. पप्पु रविदास, 2. मुकेश तांती (सूचक) है।

**5.** दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध अभिकथन (Statement) में अभियुक्तों ने घ टना से इंकार किया है एवं स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

## मंतव्य (Findings)

**6.** **अभियोजन साक्षी संख्या 1 पप्पु रविदास** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानता है। फलतः इस साक्षी को विद्वान लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया जाता है।

**7.** **अभियोजन साक्षी संख्या 2 मुकेश तांती** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना वर्ष 2017 की है। वह बाजार से आ रहा था तो रास्ते में मिथलेश पंडित, नवलेश पंडित, शंकर पंडित उसके साथ गाली गलौज किया थे, उसी में उसे चोट लग गया जिसका ईलाज उसने बरहट अस्पताल में ईलाज करवाया था। इस आशय का आवेदन उसने थाना में दिया था तथा थाना में दिये गये आवेदन पर उसका हस्ताक्षर है, जिसे साक्षी के पहचान पर प्रदर्श P-1/P.W. 2 अंकित किया गया है। साक्षी न्यायालय में उपस्थित सभी अभियुक्तों को पहचानता है। **प्रतिपरीक्षण** में साक्षी का कथन है कि अभियुक्तगण उसके ग्रामीण है। सभी से उसका अच्छा संबंध है। अभियुक्तों से उसे कोई शिकायत नहीं है तथा इन लोगों ने उसके साथ किसी प्रकार का मारपीट नहीं किया था और ना ही उसे गाली दिया था बल्कि गिरने से चोट लग गया था। अगर केस खत्म कर दिया जाये तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

**Satyanarayan Sheohare**

***District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui***

***SC/ST Case no. 28 of 2020***

***(Barhat P.S. Case No.- 40/2017)***

***Date of Judgement :22-04-2026***

***State of Bihar through informant Mukesh Kumar Tanti Vs. Sankar Pandey & others***

**7.** इस मामले में अवधारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष इस मामले में उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 323, 324, 147, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

**8.** मैंने उभय पक्षों की पूर्ण बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 पप्पु रविदास, जो घटना के बारे में कुछ नहीं जानता है तथा अभियोजन साक्षी सं0–2 मुकेश कुमार तांती, जो इस मामले का सूचक है, ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि अभियुक्तगण उसके ग्रामीण है। **अभियुक्तों से उसे कोई शिकायत नहीं है तथा इन लोगों ने उसके साथ किसी प्रकार का मारपीट नहीं किया था और ना ही उसे गाली दिया था बल्कि गिरने से चोट लग गया था।** इस साक्ष्य के आधार पर मैं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता से इस तर्क से पूर्णतः सहमत हूं कि अभियोजन पक्ष उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध इस मामले में लगे आरोप भा0द0वि0 की धारा 323, 324, 147, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के अभियोग को सभी युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः

**आदेश**

उपरोक्त तर्क एवं विवेचनाओं तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण **1. शंकर पाण्डेय, 2. प्रदीप पाण्डेय, 3. नवलेश पाण्डेय, 4. मुकेश पाण्डेय, 5. योगेश पाण्डेय, 6. मिथलेश पाण्डेय** को उनके विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 323, 324, 147, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

मेरे द्वारा उद्घोषित लेखापित एवं शुद्धित

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।
दिनांक–22.04.2026

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक–22.04.2026